8 —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/163

मुकदमा नम्बर 56/2024

दर्ज दिनांक– 30.04.2024

पूनम पुत्री सांवता जाति जांगिड निवासी बाय, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 30.04.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बाय वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता सं. 271 के खसरा नं. 810,813 कुल किता 02 के राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम परमेश्वरी पुत्री सांवता के स्थान पर पूनम पुत्री सांवता दुरूस्त करके दर्ज किया जावे।

आवेदक के प्रा. पत्र के साथ पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक, तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट, बयान पूनम ,फर्द मौका रिपोर्ट, नकल जामबन्दी संवत् 2075–78 की पेश की गई।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया।

पटवारी हल्का तथा भू.अ.निरीक्षक तथा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम बाय वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता सं. 271 के खसरा नं. 810,813 कुल किता 02 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम परमेश्वरी पुत्री सांवता के स्थान पर पूनम पुत्री सांवता दुरूस्त व दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner